

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114



email : rajssa_cmece@yahoo.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/सामु.गति/पीटीए/2017-18/ 13338

दिनांक : 12/2/18

::अध्यापक-अभिभावक परिषद (PTA) की दिनांक 15.02.18 को आयोज्य बैठक हेतु दिशा-निर्देश:

शिविरा पंचांग : 2017-18 के अनुसार दिनांक : 15.02.2018 को अध्यापक-अभिभावक परिषद की चतुर्थ बैठक आयोज्य है। उक्त दिवस को अमावस्या तिथि के अनुरूप विभाग द्वारा प्रदत्त स्थायी निर्देशानुसार SDMC एवं SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी पूर्व निर्धारित है। सत्र: 2017-18 में अध्यापक-अभिभावक परिषद की प्रथम बैठक (I PTM) दिनांक : 05.05.2017, द्वितीय बैठक (II PTM) दिनांक : 20.09.2017, तृतीय बैठक (III PTM) दिनांक : 18.11.2017 को आयोजित की जा चुकी है। उक्त क्रम में सत्र : 2017-18 हेतु अध्यापक-अभिभावक परिषद की चतुर्थ बैठक (IV PTM) का आयोजन SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 15.02.2018 को विद्यालय समयारम्भ (प्रातः9.30) से अग्रांकित निर्देशानुरूप किया जावे :-

➤ पूर्व की तैयारी एवं दायित्व :-

अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

1. संस्था प्रधान एवं शिक्षक गुण :-

- बैठक की निर्धारित तिथि से पूर्व अभिभावकों को निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।
- समस्त विषयाध्यापक एवं कक्षाध्यापक उक्त बैठक के दौरान वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर अभिभावकों के साथ पारस्परिक विमर्श की समुचित तैयारी के दृष्टिकोण से इस सत्र में आयोजित तीनों परखों एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठक से पूर्व आवश्यक रूप से तैयार करके रखेंगे।
- SDMC/SMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु घर-घर जाकर सूचित/निमन्त्रित करने हेतु प्रेरित करना।
- सार्वजनिक स्थलों पंचायत भवन, मंदिर/गुरुद्वारे/बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर एसएमसी सदस्यों द्वारा बच्चों की रैली एवं अन्य माध्यमों से बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- बैठक दिवस को अभिभावकों की उपयुक्त बैठक एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमन्त्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करना।
- इस वर्ष अध्यापक-अभिभावक परिषदकी तीनों बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार ज्ञापित करना।

2. जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक :-

- बैठक के एक सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- जिला कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन

www.rajteachers.com

de ✓

तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उपस्थिति बाबत आग्रह करना।

- जिला स्तर पर व्हाट्स/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग बैठक के प्रचार-प्रसार एवं अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करना।
 - क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों का आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन।
 - जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर निर्धारित अवलोकन प्रपत्र में तद्विवस ऑन लाईन फीडिंग (लिंक <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form>) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करना।
 - बैठक दिवस के तत्काल पश्चात् बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पर अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- अध्यापक-अभिभावक परिषद एवं **SDMC/SMC** की कार्यकारिणी समिति की बैठक की रूपरेखा :-


क्र.सं.	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	<p>प्रार्थना-सभा में भागीदारी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। ● एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक-बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना हो। 	प्रार्थना सभा - 25 मिनट
2	<p>विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विचार-विमर्श :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रार्थना सभा कार्यक्रम के उपरान्त कक्षा 1 से 5 तक तृतीय योगात्मक मूल्यांकन व कक्षा 6-8 अर्द्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवाया जाना है। इस हेतु कक्षाध्यापकों द्वारा समन्वय करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में ठहराव/उपस्थिति एवं विषयवार प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विषयाध्यापकों/कक्षाध्यापक एवं अभिभावकों का परस्परिक सम्वाद स्थापित किया जाएगा। उक्त सम्वाद में कमजोर शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर उन्नयन हेतु ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। जिससे वार्षिक परीक्षा में समस्त विद्यार्थियों के सम्बन्ध में वांछित शैक्षिक उपलब्धि का लक्ष्य अर्जित किया जा सकें। 	02 घण्टे
3	<p>अध्यापक-अभिभावक परिषद एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन :-</p> <p>विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धियों के सम्बन्ध में विषयाध्यापक/कक्षाध्यापक के अभिभावकों के साथ पारस्परिक सम्वाद कार्यक्रम के समान्तर SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन भी आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए किया जाना है, जिसमें पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं करणीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा का समावेशन भी विद्यालय की आवश्यकतानुरूप किया जाए :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वैच्छिक अनुदान हेतु एसएमसी में प्रस्ताव लेकर तय/एकत्रित राशि की जानकारी प्रदान करना। ● SDMC को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा-80(जी) के तहत आयकर से छूट हेतु विद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुरूप आयकर विभाग में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत करवाना एवं उक्तानुसार विद्यालय विकास हेतु जन सहयोग जुटाने में अभिभावकों एवं SDMC/SMC सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। ● शासन के निर्देशानुरूप विद्यालय में समन्वित किए गए आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण बाबत संस्था प्रधानों को प्रदत्त नवीन निर्देशों की अवगति अभिभावकों एवं SDMC सदस्यों को प्रदान करना एवं उक्त कार्य में उनका वांछित सहयोग प्राप्त करना। 	आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए।
4	<p>संस्था प्रधान का उद्बोधन :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियां। ● विद्यालय विकास योजना (SDP) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी। ● विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना। ● विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाबत दायित्वों का उल्लेख करना। 	30 मिनट

- I. राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति अपेक्षित स्तर से न्यून होने के सम्बन्ध में अभिभावकों एवं स्थानीय जनसमुदाय के अगुआ प्रतिनिधियों से विस्तृत विमर्श पश्चात् विद्यालय परिक्षेत्र की समस्त बालिकाएं, जो नियमित विद्यालय शिक्षण से वंचित हैं, उनका आगामी सत्र में विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किए जाने हेतु सम्बन्धित अभिभावकों को प्रेरित करते हुए दायित्वबद्ध करना।
- II. परम्परावादी सामाजिक सोच के चलते समाज में व्याप्त लैंगिक विभेद एवं असमानता की विषम स्थितियों पर नियन्त्रण एवं बालिकाओं को शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, रोजगार इत्यादि क्षेत्रों में समान अवसर एवं सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु अभिभावकों एवं स्थानीय जनसमुदाय को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए समाज में लैंगिक समानता की सार्थक मानसिकता उत्पन्न करने हेतु सार्थक प्रयास।

➤ **अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा करणीय कार्यवाही :-**

- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-1 (संलग्न परिशिष्ट-1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करवाना।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-2(संलग्न-2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में अवगति प्राप्त करने तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
- संलग्न प्रपत्र-3 (परिशिष्ट-3) में सूचना कार्यक्रम आयोजित होने से दो दिवस में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ) email : rajssa_cmece@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- परिशिष्ट 1, 2 व 3



(डॉ.जोगाराम)

आयुक्त


रा.प्रा.शि.प., जयपुर

दिनांक : 19/5/18

क्रमांक : राप्राशिप/जय/ सामु.गति/पीटीए/ 2017-18/ 13339

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिले के विद्यालयों में दिनांक : 15.02.2018 को आयोजित होने वाली अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक (PTM) में भागीदारी निभाने एवं मोनिटरिंग प्रपत्र की ऑनलाईन फीडिंग हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
5. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारम्भिक को प्रेषित कर लेख है कि परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाने हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन सुनिश्चित करते हुए स्वयं तथा कार्यालय के अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों द्वारा उक्त बैठकों में भाग लेकर पूर्वोल्लेखित मोनिटरिंग फार्म की ऑनलाईन पूर्ति(लिंक <http://tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form>) करना व करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक-प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।



(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त आयुक्त

रा.प्रा.शि.प., जयपुर

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय/आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 15.02.2018 को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है :-

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद : राजकीयविद्यालय.....

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 15.02.2018 को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने वाले महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री..... (विद्यार्थी का नाम), कक्षा..वर्ग.....की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यापक-अभिभावक परिषद की माह फरवरी में दिनांक : 15.02.2018 को आयोज्य अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक (Parents Teacher Meeting) में अपने पुत्र/पुत्री की महिला अभिभावक (माँ/दादी/ताई/चाची/बुआ/नानी/मामी/मौसी) की उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें।

धन्यवाद!

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर

मय मुहर

www.rajteachers.com

प्रारूप -3

सामुदायिक गतिशीलता

अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक 2017-18

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ बैठक आयोजित हुई	विद्यार्थियों की संख्या जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	विद्यार्थियों की संख्या जिनके अभिभावकों ने बैठक में भाग नहीं लिया	कितने प्रतिशत अभिभावकों ने बैठक में भागीदारी की	प्राप्त जनसहयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट :- उत्कृष्ट विद्यालयों की सूचना पृथक से भिजवाये।